

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री ओ.पी.जर्मा

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 290

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि सीलिंग की कार्रवाई सिर्फ छोटे-छोटे उल्लंघनकर्ताओं पर हो रही है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नहीं, यह सत्य नहीं है। जिन संपत्तियों में एम.पी.डी-2021 का उल्लंघन पाया जाता है उन संपत्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशनुसार सिलिंग की कार्यवाही की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम नहीं, यह सत्य नहीं है। जिन संपत्तियों में एम.पी.डी-2021 का उल्लंघन पाया जाता है उन संपत्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशनुसार सिलिंग की कार्यवाही की जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाले सभी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बिना किसी सजा के अपना काम करते रहते हैं;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।
ग	सीलिंग रोकने और इस समस्या के सर्वमान्य समाधान के प्रति दिल्ली सरकार के दृष्टिकोण की विस्तृत जानकारी दें।	दिल्ली सरकार लगातार मॉनिटरिंग कमेटी के संपर्क में है और सभी राजनैतिक दलों के साथ लगातार बैठकें कर इस समस्या का समाधान ढूँढ रही है। दिनांक 16.03.2018 को विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और एक प्रस्ताव भी सदन द्वारा पारित किया गया।


R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat